

प्रेषक,

संजय प्रसाद
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम, 14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2012

विषय : औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेश को आकर्षित करने हेतु एवं उद्योगों के विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिए औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक इकाईयों के समूह द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सार्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपमेन्ट पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति लैब/टूलरूम कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तत्काल में औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 की प्रतियाँ समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. वित्तीय निगम को अपने स्तर से वितरित कराने का कष्ट करें।

2. इस योजना के संचालन हेतु उ.प्र. वित्तीय निगम को प्राधिकृत संस्था नामित किया जा रहा है।
 3. प्रश्नगत् सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले संबन्धित टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सार्टिफिकेशन या टूल रूम भविष्य में बन्द न कर दी जाए। इस हेतु भी समुचित व्यवस्था अनुबंध पत्र के माध्यम से प्राधिकृत संस्था द्वारा की जायेगी।
 4. उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के पश्चात ही निर्गत की जायेगी।
- कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
सचिव।

संख्या-1414/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.III तददिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
9. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि योजना की 1500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र. को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6।
12. नियोजन अनुभाग-1।
13. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक : यथोक्त।

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-1414/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.III तददिनांक:

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने की कृपा करें। औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न है।

आज्ञा से,

संलग्नक : यथोक्त।

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012

उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के वर्तमान युग में बढ़ी हुई उपभोक्ता जागरूकता तथा निर्यात के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक उत्पादों के उच्च गुणवत्ता का होना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए न सिर्फ अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद आवश्यक है बल्कि उनकी गुणवत्ता का प्रमाणीकृत होना भी आवश्यक है। प्रदेश के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र की पूँजी गुणवत्ता विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण की तरफ आकर्षित की जाए। औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना के माध्यम से उद्योगों को आंशिक आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए गुणवत्ता के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश आकर्षित किया जायेगा।

योजनान्तर्गत औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिए औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक इकाईयों के समूह द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपमेन्ट पर किये जाने वाले व्यय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति लैब/टूलरूम कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्रियान्वयन, निर्णय एवं भुगतान की प्रक्रिया आदि निम्नवत् है:-

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. योजना का शीर्षक | औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 |
| 2. योजना का उद्देश्य | औद्योगिक उत्पादों की उच्च स्तरीय गुणवत्ता का विकास करने, उनको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाने तथा गुणवत्ता विकास के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। |
| 3. योजनावधि | यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से 05 वर्षों के लिए लागू होगी। |
| 4. योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र | प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी। |
| 5. परिभाषाएं | (1) “औद्योगिक संगठन” का तात्पर्य ऐसे संगठन से है जो उद्योगों के हित के लिए कार्यरत हो तथा सोसाइटी एक्ट-1960 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो।
(2) औद्योगिक इकाईयों के समूह का तात्पर्य समान प्रकृति की पाँच या पाँच से अधिक इकाईयों का समूह।
(3) “कंपनी” से तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों के समूह/संगठनों द्वारा गठित ऐसी कंपनी से है जिसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया हो।
(4) “सोसाइटी” से तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों के समूह/संगठनों द्वारा गठित ऐसी सोसाइटी से है जिसका गठन सोसाइटीज अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया हो।
(5) “स्पेशल परपज वैहिकल” से तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों के समूह/संगठनों द्वारा गठित ऐसी कंपनी अथवा सोसाइटी से है जिसका गठन कंपनी अधिनियम 1956 अथवा सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया हो।
(6) “यू.पी.एफ.सी.” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।
(7) “ऋण वितरण की तिथि” का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को टेस्टिंग लैब, क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब अथवा टूल रूम स्थापित करने हेतु किसी वित्तीय संस्था से ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।
(8) “वर्ष” का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। |

6. योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था
7. योजना का स्वरूप
- (9) “वित्तीय संस्था” से तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थायें अथवा शिड्यूल्ड बैंक से है।
योजना का परिचालन पूरे प्रदेश में उ.प्र. वित्तीय निगम (यू.पी.एफ.सी.) द्वारा किया जायेगा।
- (1) योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले नये टेस्टिंग लैब, क्वॉलिटी सार्टीफिकेशन लैब अथवा टूल रूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपर्मेंट के लिए वित्तीय संस्था से प्राप्त किये गये सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी, प्रतिबंध यह होगा कि संपूर्ण अवधि में प्रति इकाई कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक ही प्रतिपूर्ति की जायेगी। 05 वर्षों की गणना वित्तीय संस्था से ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।
- (2) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु कंपनी/संस्था/स्पेशल परपज वैहिकल को वित्तीय संस्था द्वारा सावधि ऋण स्वीकृत एवं अवमुक्त कराना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र प्राधिकृत संस्था उ.प्र. वित्तीय निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) इस योजना का लाभ उन्हीं कंपनी/संस्था/स्पेशल परपज वैहिकल को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत टेस्टिंग लैब, क्वॉलिटी सार्टीफिकेशन लैब अथवा टूल रूम के विकास हेतु किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।
- (4) उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगी :-
1. भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।
 2. भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा में 5 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।
- उपरोक्त ब्याज दर के समतुल्य धनराशि इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगी कि 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों के लिए, प्रति लैब/टूल रूम कुल रु. 1 करोड़ की सीमा से अधिक न हो।
- (5) उपादान धनराशि का आंकलन लैब/टूल रूम हेतु प्लाण्ट, मशीनरी अथवा इक्यूपर्मेंट्स के लिए वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि पर 5 प्रतिशत की दर से की जायेगी।
- उदाहरण-यदि 14 प्रतिशत की दर से वित्तीय संस्था से रु.1 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया हो तो उपादान की राशि 5 प्रतिशत ब्याज दर के अनुसार रु.5 लाख होगी।
- योजनान्तर्गत प्रदेश में टेस्टिंग लैब, क्वॉलिटी सार्टीफिकेशन लैब अथवा टूल रूम स्थापित करने वाली कंपनी/संस्था/स्पेशल परपज वैहिकल को वित्तीय संस्था से प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपर्मेंट्स के लिए लिये प्राप्त किये गये सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों के लिए कुल रु.1 करोड़ की सीमा तक ही प्रति लैब/टूल रूम अनुमन्य होगा।
- (1) कंपनी/संस्था/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा निर्धारित प्रारूप-“क” पर उ.प्र. वित्तीय निगम को आवेदन पत्र लैब/टूल रूम के कार्यशील होने के 6 माह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो। 6 माह के ऊपर के विलम्ब की अवधि को 5 वर्ष की पात्रता अवधि से घटा दिया जायेगा।
- (2) कंपनी/संस्था/स्पेशल परपज वैहिकल के पक्ष में वित्तीय संस्था द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वॉलिटी सार्टीफिकेशन लैब अथवा टूल रूम स्थापित करने

- हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात् सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय ब्याज का भुगतान कंपनी/संस्था/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो।
- (3) उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चातवर्ती वार्षिक आवेदन प्राधिकृत संस्था को अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत कर दिया गया हो। 30 जून के उपरान्त प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा।
10. योजनान्तर्गत उपादान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया (1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र “प्रारूप-क” में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा उसे संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का, वित्तीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राधिकृत संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन-पत्र वॉछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा इकाई/कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल के पक्ष में प्रारूप-ख पर स्वीकृति पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया जायेगा।
- (3) कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र “प्रारूप-ग” में नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध संबंधित संस्था के साथ संपादित कराया जायेगा।
11. भुगतान की प्रक्रिया (1) प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को वार्षिक माँग प्रेषित की जायेगी।
- (2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त माँग के आधार पर स्वीकृत औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान की धनराशि शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट प्राप्त होने के उपरान्त कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल के पक्ष में वितरण की कार्यवाही पन्द्रह कार्य दिवस में की जायेगी।
- (4) कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर ही करना आवश्यक होगा। यदि किन्हीं कारणों से किसी भुगतान में कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल डिफाल्टर हो जाती है तो उस किश्त के साथ दिये गये ब्याज पर कोई छूट (उपादान) देय नहीं होगा परन्तु यह अवधि पात्रता अवधि में सम्मिलित मानी जायेगी।
12. औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना का लेखों का रखरखाव औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान की वितरित धनराशि का विवरण लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का संपूर्ण विवरण जनपदवार प्राधिकृत संस्था द्वारा रखा जायेगा।
13. बजट की व्यवस्था प्राधिकृत संस्था से वर्ष के प्रारम्भ में ही अनुमानित माँग प्राप्त की जायेगी जिसके आधार पर शासन से बजट प्राप्त कर प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

14. स्वीकृत औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान सुविधा का निरस्तीकरण / वसूली

निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में सम्बन्धित कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल को उपादान देय नहीं होगा एवं कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल को ब्याज उपादान वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भौति वसूल किया जायेगा।

- (1) जब कोई कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे माँगी जाए, देने में असफल रहे।
- (2) जब किसी कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान प्राप्त किया हो।
- (3) जब किसी कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा प्राप्त किये गये ऋण के उद्देश्य की पूर्ति न की गयी हो, लैब/टूल रूम स्थापित न किया गया हो अथवा योजना की अवधि में स्थापित लैब/टूल रूम के प्लाण्ट, मशीनरी अथवा इक्यूपमेंट्स का प्रयोग बन्द कर दिया गया हो अथवा उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया हो।

15. कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना

योजनावधि में कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचनाओं का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। प्रति वर्ष कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा आडिटेड वार्षिक लेखा/वैलेन्स शीट आदि संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। प्राधिकृत संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा पात्र औद्योगिक इकाई तथा उसके अभिलेखों का निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा-अनुबंध पत्र व अनुषांगिक व्यय पात्र कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अवमुक्त औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान की धनराशि का दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा दिया जायेगा।

16. व्यय भार

(1) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामले प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे।

- (2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा।
- (3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का, योजना में संशोधन करने का अथवा अन्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)

सचिव।

औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र

1. कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल का नाम व पता
2. कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल का स्वरूप (साक्ष्य सहित प्रपत्र) (पैन नम्बर/टिन नम्बर साक्ष्य सहित प्रपत्र)
3. मुख्य प्रवर्तक/निदेशकों का नाम एवं पते, फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र के साथ
4. दूरभाष, मोबाईल, ई-मेल, बेवसाइट का विवरण
5. कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल पंजीकरण विवरण - संख्या दिनांक
(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)
6. वित्तीय संस्था का नाम व पता जहाँ से ऋण प्राप्त किया है।
7. टेस्टिंग लैब, कॉलिटी सर्टीफिकेशन लैब अथवा टूल रूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपर्मेंट पर किये जाने वाले व्यय, वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि, देय व्याज दर व दिनांक (साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति)
8. टेस्टिंग लैब, कॉलिटी सर्टीफिकेशन लैब अथवा टूल रूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपर्मेंट पर किये जाने वाले व्यय हेतु वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि एवं दिनांक (साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी प्रपत्र की प्रति)
9. यदि कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से भी वित्त पोषण प्राप्त किया गया है तो उसका संपूर्ण विवरण (साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति)
10. औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान स्वीकृति हेतु दावों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष जिसके लिए उपादान आवेदित है	वर्ष में वित्तीय संस्था को किया गया मूलधन एवं व्याज का भुगतान, जोकि वित्तीय संस्था द्वारा प्रमाणित हो	टेस्टिंग लैब, कॉलिटी सर्टीफिकेशन लैब अथवा टूल रूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपर्मेंट पर किये जाने वाले व्यय हेतु ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अपेक्षित औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान
		मूलधन	व्याज
1	प्रथम वर्ष ()		
2	द्वितीय वर्ष ()		
3	तृतीय वर्ष ()		
4	चतुर्थ वर्ष ()		
5	पंचम वर्ष ()		
	योग		

प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत इंगित औद्योगिक गुणवत्ता विकास के लिए टेस्टिंग लैब, कॉलिटी सर्टीफिकेशन लैब अथवा टूल रूम स्थापित करने हेतु प्लाण्ट, मशीनरी एवं इक्यूपर्मेंट पर किये जाने वाले व्यय हेतु किये गये निवेश पर व्याज/अन्य उपादान न तो प्राप्त किया गया है, न ही इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य संस्था को आवेदन-पत्र दिया गया है। कंपनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल के सन्दर्भ में उपरोक्त समस्त विवरण सत्य हैं तथा वितरित ऋण के सन्दर्भ में दी गयी सूचना वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये संलग्न प्रमाण-पत्र के अनुसार है जिसके आधार पर कुल रु. औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जा रहा है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :